न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारीः— बिन्दुबाला राजावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्याः— 11 / 2024 (वाद)

दायर दिनाकः— 03 / 01 / 2024

निर्णय दिनांकः— 30 / 03 / 2026

अनवान

1— बालकिशन दत्तक पुत्र बलदेव जाति ब्राह्मण निवासी माऊ, तह. रेलमगरा, जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 136, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी अधिवक्ता— जगदीश चन्द्र कुमावत

प्रतिवादी अधिवक्ता— पैरोकार सरकार

—:निर्णयः—

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,136, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत किया है कि मौजा ग्राम माऊ, पटवार हल्का गोगाथला, आराजी संख्या 63, 72, 73, 74, 82, वादी के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की निम्न कृषि भूमियां स्थित है प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित नकल पेश है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियां वादी के पिता की होकर विरासत से वादी को प्राप्त हुई थी। वादी के पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उनका नामान्तरकरण निर्णित किया गया। उक्त नामान्तरकरण में वादी का नाम बालकिशन के बजाये बालुराम नाम से पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण निर्णित कर दिया गया जिससे वादी का नाम बालकिशन की जगह बालूराम अंकित कर दिया गया जबकि बलेदेव जी के बालूराम नाम का कोई पुत्र नहीं होकर बालूराम एवं वादी ही है। जो वादी का नाम बालूराम न होकर बालकिशन है। पटवारी हल्का द्वारा जानकारी के अभाव में बालकिशन का नाम सहवन से गलत नाम बालूराम अंकित कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से उक्त वाद पेश है। यह कि उक्त आराजीयात में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में बालूराम के नाम से दर्ज है। जबकि वादी का नाम बालूराम नही होकर बालकिशन है व वादी को बालकिशन पिता बलदेव के नाम से ही जाना व माना जाता है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में बालकिशन अंकन होना चाहिये था लेकिन बालकिशन की जगह बालुराम अंकन हो गया। क्योंकि श्री बलदेव जी की मृत्यु हुई तब नामान्तरकरण खोला गया तब सहवन से वादी का नाम बालकिशन के बजाय बालुराम दर्ज हो गया था जबकि वादी को बालकिशन के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। जो दस्तावेज वादी के नाम का है उसमें आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र व लाईट बिल सभी में बालकिशन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पिता बलदेव के नाम से ही वादी का नाम अंकन है। खातेदार बालुराम दत्तक पुत्र बलदेव एवं वादी एक ही व्यक्ति है। इस नाम का और कोई व्यक्ति गांव माउ में नहीं है। वादी को अभी अपनी जमाबंदियों की नकलो की आवश्यकता हुई उसमें पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में बालकिशन की बजाय बालूराम दर्ज है जिससे वादी ने राजस्व अभिलेख में नाम सुधारने हेतु पटवारी हल्का को कहां तो वादी को मौखिक रूप से यह बताया गया कि यहां पर इस तरह से नाम नही सुधारा जा सकता है। तहसील में जाना वहां तुम्हारा नाम सुधर जायेगा। इसके बाद वादी प्रतिवादी के यहां बार बार जाता रहा तो वादी का नाम नही सुधारा गया व आज से एक माह पूर्व अन्तिम बार वादी प्रतिवादी के यहां जाकर राजस्व अभिलेख में बालूराम दत्तक पुत्र बलदेव के बजाय बालकिशन पुत्र बलदेव अपना नाम अंकन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए वादी को उक्त प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर महोदय के न्यायालय में लगाना होगा। जिससे वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने नाम बालकिशन पुत्र बलदेव को राजस्व अभिलेख में बालूराम दत्तक पुत्र बलदेव के बजाय दर्ज कराने का वादपत्र प्रस्तुत करे। जिससे इस निमित वादी का यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात के अलावा अन्य दस्तावेजो में वादी का नाम सही अंकन है जो बालकिशन पुत्र बलदेव है जबकि राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में बालकिशन पुत्र बलदेव के बजाय बालूराम दत्तक पुत्र बलदेव गलत अंकन है इस कारण वादी न तो इन भूमियों बाबत् कोई किसी प्रकार का रहन, विक्रय आदि कर सकता है जिससे वादी के लिए उक्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह कि वादी ने इस बाबत् प्रतिवादी को नाम सुधारने हेतु कहा व राजस्व अभिलेख में सही अंकन करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया व इस वादपत्र के जरिये ही नाम सुधारने को कहा व अन्तिम बार आज से एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी को अपना सही नाम अंकन बालूराम दत्तक पुत्र बलदेव की बजाय कहा तो विपक्षी ने मना कर दिया। तब से अन्तिम बार वादी के प्रार्थना पत्र का हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि उक्त भूमि ग्राम माउ पटवार क्षेत्र गोगाथला तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में स्थित कृषि आराजीयात् के खातेदार बालूराम दत्तक पुत्र बलदेव के बजाये सही इन्द्राज बालकिशन पुत्र बलदेव दर्ज अंकित कराया जावें। अन्य कोई समुचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रदान कराई जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही कर वादी अपने वाद को स्वंय सिद्व करावे। अन्यथा उनके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन वक्त साक्ष्य PW-1 बालकिशन पिता बलदेव ब्राहम्ण के शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जमाबन्दी की नकल प्रर्दश 01 व 02 ग्राम पंचायत द्वारा भी वादी के पक्ष में प्रमाण पत्र प्रर्दश 03 विधुत विभाग का बिल प्रर्दश 04 भी जारी किया गया। आधार कार्ड प्रर्दश 05 ए, पहचान पत्र प्रर्दश 06 ए, राशनकार्ड प्रर्दश 07 ए की नकल प्रस्तुत कि गयी।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, R.T.A.का स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम माऊ, पटवार हल्का गोगाथला, के आराजी संख्या 63, 72, 73, 74, 82, भूमि वादी का नाम बालूराम दत्तक पुत्र बलदेव के बजाये सही इन्द्राज बालकिशन पुत्र बलदेव किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 11/2024

अनवान

वादीपक्ष :–

1– बालकिशन दत्तक पुत्र बलदेव जाति ब्राह्मण निवासी माऊ, तह. रेलमगरा, जिला राजसमन्द

बनाम

प्रतिवादी पक्षः–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 136, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी अधिवक्ता– लादुलाल जाट

प्रतिवादी अधिवक्ता– पैरोकार सरकार

मे इस आशय में दिनांक 30.03.2026 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,136 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माऊ, पटवार हल्का गोगाथला, के आराजी संख्या 63, 72, 73, 74, 82, भूमि वादी का नाम बालूराम दत्तक पुत्र बलदेव के बजाये सही इन्द्राज बालकिशन पुत्र बलदेव किये जाने किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। हैं।

आज दिनांक को 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा